

18/3/26

पनावकी पेश हुई। वकील अर्पणार उपरिगत।
वकील वेम्पो. क्र-1,2,5 उपरिगत। P.O. साहब
के अदालत में रहने से पनावकी मुर्दाहिसार दिनांक
8/4/26 को पेश की।

8/4/26

पनावकी पेश हुई। वकील अर्पणार उपरिगत।
वकील वेम्पो. क्र-1,2,5 उपरिगत। P.O. साहब
के अदालत में रहने से पनावकी मुर्दाहिसार दिनांक
15/4/2026 को पेश की।

15/4/26

पनावकी पेश हुई। वकील अर्पणार उपरिगत।
वकील वेम्पो. क्र-1,2,5 उपरिगत। राजकार्य में
रहने से पनावकी में मुर्दाहिसार को अदालत
में लिये जा सकें। अतः पनावकी वाले मुर्दाहिसार
को अदालत दिनांक 29/4/2026 को पेश की।

29/4/26

पनावकी पेश हुई। वकील अर्पणार उपरिगत।
तहसीलदार साहब का क्र. सं. 24/2022 निर्णय
दिनांक 13/09/2022 अन्तर्गत धारा 135(2) के
अन्तर्गत पेश किया गया आदेश है। जिसके विरुद्ध
अपील जिला कलक्टर / आर्. कलक्टर के समक्ष
संभारण योग्य नहीं है। अपील सुनने का अधिकार
धारा 75(1)(एफ) के तहत निदेशक यू-अभिलेख,
संभागीय आदालत / आर्. संभागीय आदालत के इलाहाबाद

नम्बर व तारीख
इस हुक्म की
तारीख में जारी
हू

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज

नम्बर व तारीख
जो इस हुक्म की
तामील में जारी
हुए

सर्वे अधिकारि अधिकारि धारा 135(U) के तहत
अपिवाहित नामान्तरकरण पर लखीमपुर के पारित
आदेश के विरोध में श्री जिला कलक्टर धारा 75(U)
(डी) के तहत अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार सर्वे
निर्णय पारित करने का अधिकार रखते हैं। फलकारण
को संलग्न प्रदान की गयी है। कि के चाले तो सफ़्त
मामालय में उपस्थित होकर-पाराजोधी कर सकते
हैं। अपील सफ़्त न्यायालय में पेश करने हेतु
कोटापी जाये। धनवकी निर्णय से फल सुनकर
होकर नम्बर से काम से ल्या वाद लखीम दारिख
दालर है।

निर्णय सुने-पारालय हुकास मथा।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहाबाद जिला बारों